

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल-मूठली

राजस्व आवेदन संख्या :-140 /2024

प्रार्थी:-

इन्द्रसिंह पुत्र भीमाराम जाति पुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. दीपाराम पुत्र मूलाराम
3. मु. वरजूदेवी पत्नी भीमाराम
4. माधाराम पुत्र मूलाराम
5. वालाराम पुत्र मूलाराम जाति पुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-श्री नेहपालसिंह  
प्रार्थी वकील

--: आदेश ::-

दिनांक :-03.10.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 450, 539, 570, 579, 580 व 626 कुल रकबा 05.4388 हैक्टेयर ग्राम मूठली तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात-यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत मूठली द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम इन्द्रसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम इन्द्रसिंह के स्थान पर अन्दरसिंह लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 6 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक-ग्रा.से.शि./2025/06 दिनांक 03.10.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत मूठली द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसका वास्तविक नाम इन्द्रसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम अन्दरसिंह लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ग्राम पंचायत मूठली द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम इन्द्रसिंह दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम इन्द्रसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मूठली तहसील सिवाना की खसरा संख्या 450, 539, 570, 579, 580 व 626 कुल रकबा 05.4388 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'अन्दरसिंह' के स्थान पर 'इन्द्रसिंह उर्फ अन्दरसिंह' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.10.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल मूठली में सरे आम सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
सुपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)